

- अधिकारी/कर्मचारी का पूरा नाम **अरविन्द कुमार शर्मा**
- उस सेवा का नाम, जिसमें वह हो **नर्सिंग शिक्षण**
- वर्तमान धारित पद **असिस्टेंट प्रिंसिपल**
- वर्तमान वेतन **₹ 1,50,000**
- आगामी वेतनवृद्धि की तारीख **2021**

उस जिले, उप संभाग, तालुका तथा ग्राम का नाम, जिसमें संपत्ति स्थित हो	संपत्ति का नाम तथा व्योरे		वर्तमान मूल्य	यदि स्वयं के नाम पर न हो तो बतलाइये कि वह किसके नाम पर धारित है और उसका शासकीय कर्मचारी से क्या संबंध है	उसे किस प्रकार अर्जित किया गया खरीद, पट्टा, बंधक, विरासत, भेंट या अन्य किसी प्रकार से तथा अर्जन की गई हो उसका नाम तथा व्योरा	संपत्ति से वार्षिक आय	अभियुक्त
	गृह तथा अन्य भवन	भूमि					
1	2	3	4	5	6	7	8
उज्जैन	गृह 15x15	-	₹ 25 लाख 30 लाख असमान	स्वयं	खरीद कर 1.51-0 खरीद कर 2 लाख खरीद कर असमान		

1- जहाँ लागू न हो काट दीजिए।

2- ऐसे मामलों में जहाँ मूल्य का सही-सही विवरण करना संभव न हो, वहाँ वर्तमान स्थिति के संदर्भ में लगभग मूल्य बतलाया जाए।

3- इसमें अलोकनीय पट्टे भी सम्मिलित हैं।

टिप्पणी : यह शासकीय सेवक (आधारण) नियम, 1959 के नियम 18 (3) के अधीन प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा तृतीय श्रेणी सेवा के प्रत्येक सदस्य से यह अपेक्षित है कि वह सेवा में प्रवृत्ति-नियुक्ति के समय और उसके बाद प्रत्येक बार महीने की अवधि के पर्याप्त यह घोषणा-पत्र भर कर प्रस्तुत करें और उसमें वह उनके स्वामित्व की तथा उसके द्वारा अर्जित आवा-उसे विरासत में मिली या उसके अपने नाम पर या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर या किसी अन्य व्यक्ति के नाम पर पट्टे या बंधक पर उसके द्वारा धारित सम्पत्ति अचल सम्पत्ति के व्योरे दें।

इस्ताक्षर: **[Signature]**

पदनाम: **असिस्टेंट प्रिंसिपल**

नाम: **अरविन्द कुमार शर्मा**

मो.न.